**Steps Take to Increase the Water Level**

**123. Sh. VARUN CHAUDHARY, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state the following details regarding Haryana Water Resource Authority:-

i) the district wise number of NOC’s given to ground water users;

ii) the various categories described for ground water users;

iii) the details of fee and fines charges;

iv) the fee and fines collected since its inception;

v) the fee and fines utilised till date alongwith the purpose; and

vi)the steps taken by the Government to increase the water level?

**Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana**

Point wise reply is as under:-

1. **The district-wise number of NOC’s given to ground water users;**

The Authority, has so far, granted permission to **2,779** applicants upto 22.02.2024 with the condition of water conservation and recharge of ground water by ensuring rainwater harvesting and optimum use of treated wastewater for non-potable use. The district –wise number of NOCs given by Haryana Water Resources Authority (HWRA) to ground water users is annexed at **Annexure-‘A’**.

1. **The various categories described for ground water users;**
* Haryana Water Resources Authority categorized 03 major distinct ground water users category. The details of various categories for ground water users are as under:-

**A. Industry**

**B. Infrastructure**

**C. Mining**

1. **The details of fee and fines charges;**
* The HWRA is charging tariff of groundwater extraction from the project proponents as per the schedule-IV of the HWRA guidelines dated 10.09.2021 **(Annexure –‘B’)**.
1. **The fee and fine collected since its inception;**
* The fee and fine collected by HWRA since its inception are given as under:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **F.Y.** | **Type** | **Amount (In Rupees)** |
| 1 | 2020-21 | Application fee | 69,98,013 |
| 2 | 2021-22 | Application fee | 7,30,95,340 |
| 3 | 2021-22 | Tariff | 13,51,86,624 |
| 5 | 2022-23 | Application fee | 7,23,68,240 |
| 6 | 2022-23 | Tariff | 59,82,33,967 |
| 8 | 2023-24 | Application fee | 16,10,80,198 |
| 9 | 2023-24 | Tariff | 47,45,05,270 |
| **Total** | **1,52,14,67,652** |

Note: F.Y. – Financial Year

1. **The fee and fines utilised till date along the purpose;**
* The details of fee and fines utilised by HWRA till date along with purpose are as under:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.no** | **Period** | **Name of Department** | **Amount** **(In Rupees)** | **Purpose** |
| 1 | 2022-2023 | Education Department  | 4,30,02,500/- | Construction of Rooftop Rainwater Harvesting Structure in the Govt. Schools.  |
| 2 | 2023-2024 | Irrigation & Water Resources  | 41,33,64,000/- | For Ground Water recharging & conservation activities |
| 3 | 2023-2024 | Irrigation & Water Resources  | 13,52,91,000/- | For Ground Water recharging & conservation activities |
| 4 | 2023-2024 | Irrigation & Water Resources  | 5,26,41,061/- | For Ground Water recharging & conservation activities |
|  |  | **Total** | **64,42,98,561/-** |  |
| **In addition to above, for the fiscal year 2023-24, Rs. 21.70 Crores have been earmarked for Water Conservation projects of I&WRD.**  |

1. **The steps taken by the Government to increase the water level?**

Haryana is facing the twin problems of Groundwater depletion and Water Logging. The problem of groundwater depletion in Haryana is a cause for concern. Excessive extraction and insufficient replenishment have resulted in falling water levels, with numerous locations experiencing acute water stress. The Irrigation & Water Resources Department and Haryana Water Resources Authority have formulated and implemented Integrated Water Resources Action Plan (Jal Prabandhan Yojana) 2023-25 with emphasis on both demand side and supply side interventions by all the Line Departments i.e. Department of Agriculture and Farmers Welfare, Haryana, Horticulture Department, Irrigation & Water Resources Department, Micro Irrigation & Command Area Development Authority, Development & Panchayats Department, Rural Development Department, Haryana, Industries & Commerce Department, Haryana, Department of Town & Country Planning, Public Works Department (Buildings & Roads), Urban Local Bodies Department, Haryana, Gurugram Metropolitan Development Authority, Faridabad Metropolitan Development Authority, Public Health Engineering Department, Haryana, Department of Technical Education, Haryana, Department of Higher Education, Department of School Education to reduce the excessive extraction of groundwater.

The Integrated Water Resources Action Plan contains both supply-side and demand-side water interventions activities such as Micro-Irrigation, Crop Diversification, Direct Seeding of Rice, Conservation Tillage, Green Manuring, Natural Farming, Varietal Interventions, Modernization of Channels & Water Courses, Reuse of Treated Waste Water, Ground Water Recharge, Pond rejuvenation, Construction of check dams and Roof/Rain Water Harvesting etc.

The execution and monitoring of the Integrated Water Resources Action Plan (2023-25) has resulted in achievement of 95.47% of the water savings targeted up to December 2023. Major water saving is being done through adopting intervention i.e. Micro-Irrigation :-34933 Cr litres, Crop diversification:-18130 Cr litres, Direct Seeding of Rice:-24085 Cr. Litres, Conservation Tillage:-78622 Cr litres and Varietal intervention:-32799 Cr litres.

**Annexure – ‘A’**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **District Name** | **Total No of NOCs granted** |
| 1 | AMBALA | 71 |
| 2 | BHIWANI | 182 |
| 3 | CHARKI DADRI | 175 |
| 4 | FARIDABAD | 241 |
| 5 | FATEHABAD | 56 |
| 6 | GURUGRAM | 316 |
| 7 | HISAR | 50 |
| 8 | JHAJJAR | 86 |
| 9 | JIND | 32 |
| 10 | KAITHAL | 54 |
| 11 | KARNAL | 343 |
| 12 | KURUKSHETRA | 71 |
| 13 | MAHENDRAGARH | 8 |
| 14 | NUH | 92 |
| 15 | PALWAL | 56 |
| 16 | PANCHKULA | 34 |
| 17 | PANIPAT | 158 |
| 18 | REWARI | 71 |
| 19 | ROHTAK | 28 |
| 20 | SIRSA | 26 |
| 21 | SONIPAT | 269 |
| 22 | YAMUNANAGAR | 360 |
| **Total** | **2779** |

Annexure - 'B'

HWRA Guidelines Dated 10.09.2021

# SCHEDULE IV

Fee (in Rupees) to be deposited along with the online application for seeking permissions/NOC for industrial use: A. 10-100 cum/day : 25,000/-

B. >100 500 cum/day : 50,000/-

C. >500-1000 cum/day : 1,00,000/-

D. >1000 cum/day : 1,50,000/-

In case of renewal, the application fee shall be deposited at the half of the above rates. for infrastructure use: A. Government /PSU/Semi-Government : 50,000/-

B. Others : 1,50,000/-

In case of renewal, the application fee shall be deposited at the half of the above rates for mining use : A. Direct user : 1,50,000/-

B. Indirect Users : 75,000/-

In case of renewal, the application fee shall be deposited at the half of the above rates

Fee shall be deposited by the applicant online through link provided in the web portal of the Authority.

# Appendix 5.0

**Ground water abstraction/ restoration charges**

All residential apartments/ group housing societies/ Government water supply agencies in urban areas shall be required to pay ground water abstraction charges.

All industries/mining/ infrastructure projects drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units will have to pay ground water abstraction charges based on quantum of ground water extraction and category of assessment unit as per details given in this guideline.

All existing mining/ infrastructure projects and existing industries including MSME drawing ground water in over- exploited assessment units will have to pay ground water restoration charges based on quantum of ground water extraction. Further, new MSME, new infrastructure and new Mining projects in over exploited areas shall also be required to pay ground water restoration charges.

Existing industries, infrastructure units and mining projects which have installed/constructed artificial recharge structures in compliance of the conditions prescribed in the groundwater guidelines prevailing at the time of grant of NOC or its renewal shall be eligible for a rebate of 50% (fifty percent) in the ground water abstraction charges/ground water restoration charges, subject to their satisfactory performance and verification.

The revenue generated from the proposed water abstraction/ restoration charges shall be kept in a separate fund for implementation of site specific suitable demand/ supply side interventions.

# 5.1 Rates of Ground water abstraction /restoration charges

1. **Drinking and domestic use for residential apartments/ group housing societies/ Government water supply agencies in Urban areas**

All residential apartments/ Group Housing Societies requiring water only for drinking/domestic use requiring NOC would pay ground water abstraction charges as per rates given below in **Table 5.1.**

# Table 5.1 Ground Water Abstraction charges for Drinking & Domestic use.

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantum of Groundwater withdrawal (m3/month)** | **Rate of ground water abstraction charges****(Rs. per m3)** |
| 0-25 | No charge |
| 26-50 | 1.00 |
| >50 | 2.00 |

Government water supply agencies and Government infrastructure projects shall pay Ground water abstraction Charges @ Rs. 0.50 per m3.

# Packaged Drinking Water units

Rates of ground water abstraction charges for packaged drinking water units in safe, semi-critical and critical assessment units are given in Table 5.2 A and those for ground water restoration charges in over-exploited assessment units are given in Table 5.2 B.

# Table 5.2 A: Rates of ground water abstraction charges for packaged drinking water units (Rs. per m3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No. | Category of areaGround water use | Quantum of ground water withdrawal |
| Up to 50m3/ day | 51 to <200m3/day | 200 to <1000m3/day | 1000 to<5000m3/day | 5000m3/day and above |
| 1. | Safe | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 2. | Semi-critical | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 3. | Critical | 4.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 |

**Table 5.2 B: Rates of ground water restoration charges for packaged drinking water units (Rs. per m3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No. | Category of areaGround water use | Quantum of ground water withdrawal |
| Up to 50 m3/day | 51 to <200m3/day | 200 to <1000m3/day | 1000 to<5000m3/day | 5000m3/day and above |
| 1. | Over-exploited (existing industries only) | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 120.00 |

# Other Industries & infrastructure projects

Rates of ground water abstraction charges for other industries and infrastructure projects in safe, semi-critical and critical assessment units are given in Table 5.3 A and those for ground water restoration charges in over- exploited assessment units are given in Table 5.3 B.

# Table 5.3 A: Rates of Ground Water abstraction charges for other industries & infrastructure projects (Rs. per m3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No. | Category of areaGround water use | Quantum of ground water withdrawal |
| < 200m3/day | 200 to <1000m3/day | 1000 to<5000m3/day | 5000 m3/day and above |
| 1. | Safe | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 2. | Semi-critical | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 3. | Critical | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |

**Table 5.3 B: Rates of ground water restoration charges for other industries & infrastructure projects (Rs. per m3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No. | Category of areaGround water use | Quantum of ground water withdrawal |
| < 200m3/day | 200 to <1000m3/day | 1000 to<5000m3/day | 5000 m3/day and above |
| 1. | Over-exploited (existing industries /new Industries as per the present Guidelines) | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 20.00 |

# Mining projects

Rates of ground water abstraction charges for mining, which are drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units are given in Table 5.4 A and those for ground water restoration charges in case of projects drawing ground water in over-exploited assessment units are given in Table 5.4 B.

# Table 5.4 A: Rates of ground water abstraction charges for mining ( Rs. per m3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No. | Category of areaGround water use | Quantum of ground water withdrawal |
| < 200m3/day | 200 to <1000m3/day | 1000 to<5000m3/day | 5000 m3/day and above |
| 1. | Safe | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2. | Semi-critical | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| 3. | Critical | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |

**Table 5.4 B: Rates of ground water restoration charges for mining (Rs. per m3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No. | Category of areaGround water use | Quantum of ground water withdrawal |
| < 200m3/day | 200 to <1000m3/day | 1000 to<5000m3/day | 5000 m3/day and above |
| 1. | Over-exploited | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |

# Water Abstraction and Restoration charges set-off Scheme.

Ground water charges shall be volumetric and shall be based on actual consumption. The initial quantity (upto 10 m3/day) shall be charged at the lowest applicable rate of the charges above and if the usage is exceeded the permitted quantities, the entire usage of water during the billing period shall be charged at higher rates mentioned in the said table.

The consumer will get due credit for conservation of water. The quantity of water conserved and/or recharged to ground water will be set-off with the usage of water consumed. The set-off water used and conserved and/or recharged shall be done at the end of the year.

Chairperson

Haryana Water Resources Authority

जल स्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाना

123. श्री. वरुण **चौधरी** (मुलाना): क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि जल संसाधन प्रधिकरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं का ब्यौरा क्या है:-

(I) भू-जल उपयोगकर्ताओं को दिए गए अनापति प्रमाण पत्रों की जिलेवार संख्या;

(II) भू-जल उपयोगकर्ताओं के लिए वर्णित विभिन्न श्रेणियां;

(III) फीस तथा जुर्माना शुल्कों के ब्यौरे;

(IV) इसकी स्थापना से एकत्रित फीस तथा जुर्माने;

(V) अब तक उपयोग किया गया फीस तथा जुर्माना तथा उसका उद्देश्य; तथा

(VI) जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

बिंदुवार उत्तर इस प्रकार हैः-

1. भू-जल उपयोगकर्ताओं को दिए गए अनापति प्रमाण पत्रों की जिलेवार संख्या प्राधिकरण ने आज दिनांक 22.02.2024 तक 2,779 आवेदकों को जल संचयन और भूजल के पुनर्भरण की शर्त के साथ अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त गैर-पीने योग्य उपयोग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करके जल संरक्षण के लिए भी कहा गया है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा भूजल उपयोगकर्ताओं को दिए गये अनापति प्रमाण पत्रों की जिलावार संख्या अनुबंध-‘ए’ पर संलग्न है।
2. भू-जल उपयोगकर्ताओं के लिए वर्णित विभिन्न श्रेणियां;

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने 03 प्रमुख विशिष्ट भूजल उपयोगकर्ताओं की श्रेणियां वर्गीकृत की है। भूजल उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न श्रेणियों का विवरण इस प्रकार हैः-

अ. उद्योग

ब. बुनियादी ढांचा

स. खनन

(III) फीस तथा जुर्माना शुल्कों के ब्यौरे;

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण दिनांक 10.09.2021 (अनुबंध-‘बी‘) के हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण दिशानिर्देशों की अनुसूची-IV के अनुसार परियोजना समर्थकों से भूजल दोहन का शुल्क ले रहा है।

(IV) इसकी स्थापना से एकत्रित फीस तथा जुर्माने;

इसकी स्थापना के बाद से हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई फीस तथा जुर्माने का विवरण निम्नानुसार हैः –

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्रम संख्या | वि0 व0 | प्रकार | राशि (रुपये में) |
| 1 | 2020-21 | आवेदन शुल्क | 69,98,013 |
| 2 | 2021-22 | आवेदन शुल्क | 7,30,95,340 |
| 3 | 2021-22 | टैरिफ | 13,51,86,624 |
| 4 | 2022-23 | आवेदन शुल्क | 7,23,68,240 |
| 5 | 2022-23 | टैरिफ | 59,82,33,967 |
| 6 | 2023-24 | आवेदन शुल्क | 16,10,80,198 |
| 7 | 2023-24 | टैरिफ | 47,45,05,270 |
| कुल | 1,52,14,67,652 |

(V) अब तक उपयोग किया गया फीस तथा जुर्माना तथा उसका उद्देश्यय;

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अब तक उपयोग की गई फीस तथा जुर्माने का विवरण उद्देश्य सहित इस प्रकार हैः-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | अवधि | विभाग का नाम | राशि(रुपये में)  | उद्देश्य |
| 1 | 2022-2023 | शिक्षा विभाग | 4,30,02,500/- | सरकारी स्कूलो में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण। |
| 2 | 2023-2024 | सिंचाई एवं जल संसाधन | 41,33,64,000/- | भूजल पुनर्भरण एवं संरक्षण गतिविधियों के लिए |
| 3 | 2023-2024 | सिंचाई एवं जल संसाधन | 13,52,91,000/- | भूजल पुनर्भरण एवं संरक्षण गतिविधियों के लिए |
| 4 | 2023-2024 | सिंचाई एवं जल संसाधन | 5,26,41,061/- | भूजल पुनर्भरण एवं संरक्षण गतिविधियों के लिए |
| कुल | 64,42,98,561/- |  |

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 21.70 करोड़ रुपये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(VI) जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ?

हरियाणा भूजल की कमी और जल जमाव की दोहरी समस्याओं का सामना कर रहा है। हरियाणा में भूजल की कमी की समस्या चिंता का विषय है। अत्यधिक दोहन और अपर्याप्त पुनःपूर्ति के परिणामस्वरूप जल स्तर गिर गया है, कई स्थानों पर गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भूजल के अत्याधिक दोहन को कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों जो कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास एवं पंचायत विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), शहरी स्थानीय निकाय विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों के हस्तक्षेप पर जोर देने के साथ एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (जल प्रबंधन योजना) 2023-25 तैयार एवं कार्यान्वित की है।

एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना में आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष दोनों जल हस्तक्षेप गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, धान की सीधी बुआई, संरक्षण जुताई, हरी खाद, प्राकृतिक खेती, फसलों की विविधता, चैनलों और जल धाराओं का आधुनिकीकरण, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, भूजल पुनर्भरण, तालाबों का कायाकल्प, चैक बांधों का निर्माण और छत वर्षा जल संचयन आदि।

एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023-25) के कार्यान्वयन और निगरानी के परिणामस्वरूप दिसंबर 2023 तक लक्षित जल बचत का 95.47% हासिल कर लिया गया है। प्रमुख जल बचत हस्तक्षेप को अपनाने के माध्यम से की जा रही हैः - सूक्ष्म सिंचाई:- 34933 करोड़ लीटर, फसल विविधीकरणः-18130 करोड़ लीटर, धान की सीधी बुआईः-24085 करोड़ लीटर। संरक्षण जुताईः-78622 करोड़ लीटर और किस्म हस्तक्षेपः-32799 करोड़ लीटर।

अनुबंध. ‘ए’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम संख्या | जिले का नाम | स्वीकृत अनापति प्रमाण पत्रों की कुल संख्या |
| 1 | अम्बाला | 71 |
| 2 | भिवानी | 182 |
| 3 | चरखी दादरी | 175 |
| 4 | फरीदाबाद | 241 |
| 5 | फतेहाबाद | 56 |
| 6 | गुरूग्राम | 316 |
| 7 | हिसार | 50 |
| 8 | झज्जर | 86 |
| 9 | जींद | 32 |
| 10 | कैथल | 54 |
| 11 | करनाल | 343 |
| 12 | कुरूक्षेत्र | 71 |
| 13 | महेंद्रगढ़ | 8 |
| 14 | नूह | 92 |
| 15 | पलवल | 56 |
| 16 | पंचकुला | 34 |
| 17 | पानीपत | 158 |
| 18 | रेवाड़ी | 71 |
| 19 | रोहतक | 28 |
| 20 | सिरसा | 26 |
| 21 | सोनीपत | 269 |
| 22 | यमुनानगर | 360 |
| कुल | 2779 |

अनुबंध- ‘बी’

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण दिशानिर्देशों दिनांक 10.09.2021

अनुसूची-IV

अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ शुल्क (रुपये में) जमा करना होगा औद्योगिक उपयोग के लिएः क. 10-100 धन मीटर/ दिनः 25,000/-

 ख. >100 - 500 धन मीटर/ दिनः 50,000/-

ग. >500-1000 धन मीटर/ दिनः 1,00,000/-.

घ. >1000 धन धन मीटर/ दिनः 1,50,000/-.

नवीनीकरण की स्थिति में आवेदन शुल्क उपरोक्त दरों की आधी दर पर जमा किया जायेगा। बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिएः क. सरकारी/एसयूध/अर्ध-सरकारीः 50,000/-.

ख. अन्यः 1,50,000/-

नवीनीकरण की स्थिति में आवेदन शुल्क उपरोक्त दरों की आधी दर पर जमा किया जायेगा

खनन उपयोग के लिएः क. प्रत्यक्ष उपयोगकर्ताः 1,50,000/-.

ख. अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ताः 75,000/-

नवीनीकरण की स्थिति में आवेदन शुल्क उपरोक्त दरों की आधी दर पर जमा किया जायेगा।

आवेदक को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।

परिशिष्ट 5.0

भूजल निकासी/सग्रहित प्रभार

शहरी क्षेत्रों में सभी आवासीय अपार्टमेंट/ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/**l**रकारी जलापूर्ति एजेंसियों को भूजल निकासी के लिए भुगतान करना अपेक्षित होगा।

सुरक्षित, अर्ध गंभीर और गंभीर आकलन यूनिटों में भूजल की निकासी करने वाले सभी उद्योगों/£नन/आधारभूत परियोजनाओं को भूजल निकासी की मात्रा और इस दिशानिर्देश में दिए गए ब्यौरों के अनुसार आकलन यूनिट की श्रेणी के आधार पर भूजल निकासी प्रभार का भुगतान करना होगा।

अतिदोहित आकलन यूनिटों में भूजल की निकासी करने वाले एमएसएमई सहिति सभी मौजूदा खनन/आधारभूत परियोजनाओं और मौजूदा उद्योगों को भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर भूजल संग्रहण प्रभार देने होंगे। इसके अतिरिक्त, अतिदोहित क्षेत्रों में नए एमएसएमई, नए अवसंरचना और नई खनन परियोजनाओं को भी भूजल संग्रहण प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

एनओसी देते समय अथवा उसके नवीकरण के समय मौजूद भूजल दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुकरण में जिन मौजूदा उद्योगों, आधारभूत यूनिटों और खनन परियोजनाएं ने कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं संस्थापित/निर्मित की है को भूजल निकासी प्रभार भूजल संग्रहण प्रभार में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट मिलेगी, बशर्ते कि उनका कार्य निष्पादन और जांच संतोषजनक हो।

प्रस्तावित जल निकासी/ संग्रहण प्रभार से सृजित राजस्व स्थल विश्ष्टि उपयुक्त मांग/आपूर्ति पक्ष के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अलग निधि में रखा जाएगा।

5.1 भूजल निकासी/ संग्रहण प्रभार की दरें

(I) शहरी क्षेत्रों में रेजिडेंसियल अपार्टमेंट/ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/**l**रकारी जलापूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू प्रयोग।

केवल पेय/घरेलू प्रयोग के लिए जल की आवश्यकता वाले सभी रेजिडेंसियल अपार्टमेंट ग्रुप/ हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी लेने के लिए तालिका 5.1 में दी गई दरों के अनुसार भूजल निकासी प्रभार देना होगा।

तालिका 5.1 पेय और घरेलू प्रयोग के लिए भूजल निकासी प्रभार।

|  |  |
| --- | --- |
| निकाले हुए भूजल की मात्रा (धनमीटर/ माह) | भूजल निकासी प्रभार की दर(रु. प्रति घनमीटर) |
| 0.25 | कोई प्रभार नहीं |
| 26-50 | 1.00 |
| > 50 | 2.00 |

सरकारी जलापूर्ति एजेंसियों और सरकारी आधारभूत परियोजनाओं को 0.50रू प्रति धनमीटर की दर से भूजल निकासी प्रभार का भुगतान करना होगा।

II. सीलबंद पेयजल यूनिटें

सुरक्षित, अर्ध-गंभीर और गंभीर आकलन यूनिटों में सीलबंद पेयजल यूनिटों के लिए भूजल निकासी प्रभारों की दर तालिका 5.2 क में दी गई हैं और अति दोहित आकलन यूनिटों में भूजल संग्रहण प्रभार तालिका 5.2 ख दिए गए हैं।

तालिका 5.2 कः सीलबंद पेयजल यूनिटों के लिए भूजल निकासी प्रभार की दरें (रु. प्रति घनमीटर)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं0 | क्षेत्र की श्रेणी भूमिजल प्रयोग | निकाले गए भूजल की मात्रा  |
| 50 **धनमीटर / दिन तक** | 51 से < 200 **धनमीटर / दिन तक** | 200 सेs 200 **धनमीटर / दिन तक** | 1000 ls<5000 **धनमीटर / दिन तक** | 5000**धनमीटर/** **दिन और अधिक** |
| 1. | सुरक्षित | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 2. | अर्ध-गंभीर | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 3. | गंभीर | 4.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 |

तालिका 5.2 खः सीलबंद पेयजल यूनिटों के लिए भूजल रेस्टाॅरेषन प्रभार की दरें (रुपये प्रति घनमीटर)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं0 | क्षेत्र की श्रेणी भूमिजल प्रयोग | निकाले गए भूजल की मात्रा  |
| 50 **धनमीटर / दिन तक** | 51 से < 200 **धनमीटर / दिन तक** | 200 सेs 200 **धनमीटर / दिन तक** | 1000 ls<5000 **धनमीटर / दिन तक** | 5000**धनमीटर/** **दिन और अधिक** |
| 1. | अतिदोहित (केवल मौजूदा उद्योग) | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 120.00 |

III. अन्य उद्योग और आधारभूत परियोजनाएं

सुरक्षित, अर्ध-गंभीर और गंभीर आकलन यूनिटों में अन्य उद्योगों और आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूमिजल निकासी प्रभार की दरें तालिका 5.3 क में दी गई हैं और अतिदोहित आकलन यूनिटों में भूजल संग्रहन प्रभार तालिका 5.3 ख में दी गए हैं।

तालिका 5.3 कः अन्य उद्योगों और आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूजल निकासी प्रभार की दरें (रु. प्रति घनमीटर)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं0 | क्षेत्र की श्रेणी भूमिजल प्रयोग | निकाले गए भूजल की मात्रा  |
| >200 **धनमीटर / दिन तक** | 200 से < 1000 **धनमीटर / दिन तक** | 1000 सेs > 5000 **धनमीटर / दिन तक** | 5000 **धनमीटर / दिन तक** |
| 1. | सुरक्षित | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 2. | अर्ध-गंभीर | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 3. | गंभीर | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |

तालिका 5.3 खः अन्य उद्योगों और आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूजल निकासी प्रभार की दरें (रु. प्रति घनमीटर)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं0 | क्षेत्र की श्रेणी भूमिजल प्रयोग | निकाले गए भूजल की मात्रा  |
| >200 **धनमीटर / दिन तक** | 200 से < 1000 **धनमीटर / दिन तक** | 1000 सेs > 5000 **धनमीटर / दिन तक** | 5000 **धनमीटर / दिन तक** |
| 1. | अतिदोहित (केवल मौजूदा उद्योग) | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 20.00 |

IV. खनन परियोजनाएँ

सुरक्षित, अर्ध-गंभीर और गंभीर आकलन यूनिटों में भूजल निकालने वाले खनन के लिए भूजल निकासी प्रभार की दरें, तालिका 5.4 क में दी गई हैं और अतिदोहित आकलन यूनिटों में भूजल निकालने वाली परियोजनाओं के मामले में भूजल संग्रहन प्रभार तालिका 5.4 ख में दिया/ गया हैं।

 तालिका 5.4 कः खनन के लिए भूजल निकासी प्रभार की दरें (रु. प्रति घनमीटर)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं0 | क्षेत्र की श्रेणी भूमिजल प्रयोग | निकाले गए भूजल की मात्रा  |
| >200 **धनमीटर / दिन तक** | 200 से < 1000 **धनमीटर / दिन तक** | 1000 सेs > 5000 **धनमीटर / दिन तक** | 5000 **धनमीटर / दिन तक** |
| 1. | सुरक्षित | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2. | अर्ध-गंभीर | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3. | गंभीर | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |

तालिका 5.4 खः खनन के लिए भूजल निकासी प्रभार की दरें (रु. प्रति घनमीटर)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम सं0 | क्षेत्र की श्रेणी भूमिजल प्रयोग | निकाले गए भूजल की मात्रा  |
| >200 **धनमीटर / दिन तक** | 200 से < 1000 **धनमीटर / दिन तक** | 1000 सेs > 5000 **धनमीटर / दिन तक** | 5000 **धनमीटर / दिन तक** |
| 1. | अतिदोहित (केवल मौजूदा उद्योग) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |

जल निकासी और पुनर्स्थापन शुल्क सेट-ऑफ योजना।

 भूजल प्रभार वोलयुमेट्रिक और वास्तविक खपत पर आधारित होगा। प्रारंभिक मात्रा (10 **धनमीटर / दिन**) उपरोक्त प्रभार की न्यूनतम लागू दर पर ली जाएगी और यदि उपयोग अनुमत मात्रा से अधिक हो जाता है, तो बिलिंग अवधि के दौरान पानी के पूरे प्रयोग पर उल्लिखित उक्त तालिका अनुसार उच्च दरों पर प्रभार लिया जाएगा।

 उपभोक्ता को जल संरक्षण का उचित लाभ मिलेगा। संरक्षित ओर/या पुनर्भरण जल की मात्रा भूजल के खपत किए गए पानी के प्रयोग के साथ सेट-ऑफ किया जाएगा। पानी का प्रयोग किया गया और संरक्षित किया गया औरध्या रिचार्ज किया हुआ का सेट-ऑफ वर्ष के अंत में किया जाएगा.

अध्यक्षा,

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण

|  |
| --- |
|  |